



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-05042023-244958
CG-MH-E-05042023-244958

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1539]
No. 1539]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 3, 2023/चैत्र 13, 1945
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 3, 2023/CHAITRA 13, 1945

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मुम्बई, 3 अप्रैल, 2023

का.आ. 1617(अ).—केंद्रीय सरकार ने, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 05 मई 2022 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यां क्र. का.आ. 2087(अ), तारीख 05 मई 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को गुजरात राज्य के राजकोट जिले में राजकोट-कानालुस ब्रॉड गेज इकहरी लाईन का दोहरीकरण परियोजना नाम की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिये अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, जबकि, उक्त अधिसूचना का सार दैनिक स्थानीय समाचार पत्र "दि टाइम्स ऑफ़ इन्डिया" में तारीख 23 मई 2022 और "नोबत" में तारीख 13 मई 2022 में उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के तहत प्रकाशित किया गया था, और, सक्षम प्राधिकारी को कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ;

और, जबकि, उक्त अधिनियम की धारा 20 ई की उप-धारा (आई) के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी ने केंद्र सरकार की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

अतः, अब, इसलिए, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20 ई की उप-धारा (आई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार यह घोषणा करती है कि यहां संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अधिग्रहण उपर्युक्त उद्देश्य के लिए किया जाएगा।

और इसके अलावा, उक्त अधिनियम की धारा 20 ई की उपधारा (2) के अनुसरण में, केंद्र सरकार यह घोषणा करती है कि आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि सभी भारों से मुक्त होकर केंद्र सरकार में निहित होगी।

अनुसूची

विषय : गुजरात राज्य में राजकोट कनालस ब्रॉडगेज सिंगल लाइन का दोहरीकरण नाम की विशेष रेलवे परियोजना के लिए अधिग्रहित की जाने वाली या उसके बिना संरचना के लिए भूमि का संक्षिप्त विवरण:

जिले का नाम: जामनगर

क्रम संख्या	खसरा संख्या	7/12 के अनुसार भु धारक का नाम	अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
तहसील : लालपुर			
ग्राम : पिपली			
1	210	राजेशभाई लगधीरभाई मोढवाडीया विनोदभाई लगधीरभाई मोढवाडीया रीताबेन लगधीरभाई मोढवाडीया	1418.00
2	141	रामभाई गोगनभाई गोराणीया विसाणा अरभम राजदे	857.00
कुल :			2275.00
तहसील : जामनगर(ग्राम्य)			
ग्राम : दोढीया			
1	230	वनराजसंगवचुभा इन्दूबा खुमानसिंह किशोरसिंह खुमानसिंह नरेन्द्रसिंह खुमानसिंह मीतलबा खुमानसिंह	780.00
2	181	धीरुभा राघाजी	401.00
3	182	धीरुभा राघाजी	812.00
4	185	ब्रिजराजसिंह गगुभा जाडेजा भारतबा गगुभा जाडेजा जयनीलाबा गगुभा जाडेजा w/o शक्तिसिंह गोहिल छत्रपालसिंह गगुभा जाडेजा	134.00
5	162	चंदुलाल केशु प्रविणाबेन चंदुलाल बुसा प्रिन्स चंदुलाल बुसा स.वा. चंदुलाल केशुभाई	616.00
6	161	हंसाबा मोटुभा जीतुबा मोटुभा	89.00
7	160	विजयसिंहचंदुभा जाडेजा	232.00
8	141	रामजी करशन मुरजी करशन	203.00
9	145	रामजी करशन मुरजी करशन	598.00
10	147	बाबु अलीभाई	363.00
11	109	बाबु अलीभाई	252.00

12	97	रतुभा बचुभा परमार	183.00
13	672	जफरअली नथु	140.00
कुल :			4803.00

[फा. सं. E-Office E-392766-1]

फतेह सिंह मीना, मुख्य परियोजना प्रबंधक- II (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**[Western Railway (Construction Organization)]****NOTIFICATION**

Mumbai, the 3rd April, 2023

S.O. 1617(E).—Whereas by the notification of the Government of India, by the Ministry of Railways, number S.O. 2087(E), dated 5th May, 2022, published in Gazette of India Extraordinary. Part II, section-3, Sub-section (ii), dated 5th May, 2022 (hereinafter referred to as the said notification) under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, has declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely, Rajkot-Kanalus doubling of Broad Gauge single line in District Jamnagar in the State of Gujarat;

And whereas, the substance of the said notification was published in daily “The Times of India” dated 23rd May, 2022 and “Nobat” dated 13th May, 2022 under sub-section (4) of Section 20A of the said Act;

And, whereas, Nil objection has been received by the competent authority;

And, whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 20(E) of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 20(E) of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the Schedule annexed here to shall be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of Section 20(E) of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Subject : Brief Description of the Land to be acquired with or without Structure Falling within the District Jamnagar for Special Railway Project, Rajkot - Kanalus doubling of Broad-Gauge single line in the state of Gujarat.

Name of District: Jamnagar

Sr. No.	Survey No.	As per 7/12 Land holder's name	Area of Land to be acquired (in Sqm.)
Taluka :Lalpur			
Village :Pipli			
1	210	Rajeshbhai Lagdhirbhai Modhvadiya Vinodbhai Lagdhirbhai Modhvadiya Ritaben Lagdhirbhai Modhvadiya	1418.00
2	141	Rambhai Goganbhai Goraniya Visana Arbham Rajde	857.00
Total			2275.00

Taluka : Jamnagar (Rural)			
Village : Dodhiya			
1	230	Vanrajsang Bachubha Induba Khumansinh Kishorsinh Khumansinh Narendrasinh Khumansinh Mitalba Khumansinh	780.00
2	181	Dhirubha Raghaji	401.00
3	182	Dhirubha Raghaji	812.00
4	185	Brijrajsinh Gagubha Jadeja Bharatba Gagubha Jadeja Jayanilaba Gagubha Jadeja w/o Shaktisinh Gohil Chhatrapalsingh Gagubha Jadeja	134.00
5	162	Chandulal Keshu Pravinaben Chandulal Busa Prins Chandulal Busaminor's parent Chandulal Keshubhai	616.00
6	161	Hansaba Motubha Jeetuba Motubha	89.00
7	160	Vijaysinh Chandubha Jadeja	232.00
8	141	Ramji Karshan Murji Karshan	203.00
9	145	Ramji Karshan Murji Karshan	598.00
10	147	Babu Alibhai	363.00
11	109	Babu Alibhai	252.00
12	97	Ratubha Bachubha Parmar	183.00
13	672	Jafarali Nathu	140.00
Total			4803.00

[F. No. E Office E- 392766-1]

FATEH SINGH MEENA, Chief Project Manager – II (Cons.)